संख्या–675/44–1–2010–71/2010

प्रेषक,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 13 मई,2010

विषयः– सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा दिये जाने की व्यवस्था ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में शासनादेश संख्या–2915/44–1–38/80, दिनांक 01 जनवरी, 1981 के साथ पठित शासनादेश संख्या–247/पी.आर.सी./चौ0–1–91–181/95, दिनांक 28 मई, 91 एवं शासनादेश संख्या–670/पी.आर.सी./44–1–2001, दिनांक 2 फरवरी, 2002 द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा अनुमन्य करायी जा रही है ।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या जी–2–1985/दस–2008–339/2008, दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की दरों का निर्धारण किया गया है । इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि उन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को जिन्हें छठें वेतनमान के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य कराया जा चुका है उनको वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश में निर्धारित की गयी दरों के अनुसार स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन की दरें अनुमन्य करा दी जाए । जिन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में अभी तक छठें वेतनमान के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं कराया गया है वहां पर पूर्व व्यवस्था यथावत लागू रहेगी ।

3– उपरोक्त सुविधा के संबंध में लागू अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध पूर्ववत ही लागू होंगे ।

भवदीय

(हरिसंज किशोर)
प्रमुख सचिव

संख्या–675/44–1–2010:71/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, लेखा परीक्षा द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ ।
2–सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से संबंधित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव ।
3–महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
उप सचिव ।